गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की 183वीं बैठक दिनांक 15.07.2024 का कार्यविवरण

विद्यापरिषद की स्थायी समिति की 183वीं बैठक दिनांक 15.07.2024 को प्रातः 10:00 बजे प्रशासनिक भवन के सभा कक्ष में संपन्न हुई। बैठक के प्रारम्भ में कुलसचिव ने सभी सदस्यों का स्वागत किया तत्पश्चात् कुलपति महोदय की अनुमति से बैठक प्रारम्भ हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही :–

1.	प्रो0 आलोक कुमार चक्रवाल, कुलपति	अध्यक्ष
2.	प्रो0 अशोक कुमार मिश्रा	सदस्य
3.	प्रो0 एम.एन. त्रिपाठी	सदस्य
4.	प्रो0 सीमा राय	सदस्य
5.	प्रो0 राजेन्द्र मेहता	सदस्य
6.	प्रो0 सी.एस. वझलवार	सदस्य
7.	प्रो0 ब्रजेश तिवारी	सदस्य
8.	प्रो0 एस.सी. तिवारी	सदस्य
9.	प्रो0 एच.एस.तिवारी	सदस्य
10.	प्रो0 रामकृष्ण प्रधान	सदस्य
11.	प्रो0 पी.पी. मूर्ति	सदस्य
12.	प्रो0 संतोष कुमार प्रजापति	सदस्य
13.	डॉ0 बबिता माझी	सदस्य
14.	डॉ0 एस. श्वेता	सदस्य
15.	प्रो0 भारती अहिरवार	विशेष आमंत्रित सदस्य
16.	प्रो0 एल.व्ही.के.एस. भास्कर	विशेष आमंत्रित सदस्य
17.	श्री एच.एन. चौबे, परीक्षा नियंत्रक	विशेष आमंत्रित सदस्य
18.	प्रो0 के.एस. सिंह, नोडल अधिकारी	विशेष आमंत्रित
19.	डॉ0 अरूण कुमार शर्मा, नोडल अधिकारी	विशेष आमंत्रित
20.	डॉ0 मुकेश कुमार गुप्ता, नोडल अधिकारी	विशेष आमंत्रित
21.	प्रो0 ए.एस. रणदिवे, कुलसचिव (कार्यवाहक)	सचिव

निम्नानुसार सदस्य बैठक में उपस्थित नहीं हो सके :–

1. प्रो0 शरद चन्द्र श्रीवास्तव
2. डॉ0 पायल बनर्जी
3. प्रो0 शैलेन्द्र कुमार, अधिष्ठाता–छात्रकल्याण

बैठक के प्रारम्भ में कुलसचिव द्वारा उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया गया। कुलपति महोदय ने विश्वविद्यालय को ग्रेडेड ऑटोनॉमी प्राप्त होने के लिए सभी को बधाई दी। कुलपति महोदय ने बैठक के प्रारंभ में यह बताया कि संगठन के संचालन के लिए समन्वय, सौहार्द और तालमेल की नितांत आवश्यकता होती है। किसी भी संगठन को अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए मिलकर कार्य करना पढ़ता है। कुलपति महोदय के प्रेरणादायी उद्‌बोधन के पश्चात् निम्नलिखित विषयों पर चर्चा उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिये गये :–

विषय क्र.01 **विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की 182वीं बैठक दिनांक 28.06.2024 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि पर विचार करना।**

निर्णय :– निर्णय लिया गया कि विद्यापरिषद की स्थायी समिति की 182वीं बैठक दिनांक 28.06.2024 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि निम्नानुसार संशोधन के साथ की जाय–

विषय क्रमांक–9 में लिये गये निर्णय की अंतिम पंक्तियों को ''सेमेस्टर की एटीकेटी की परीक्षायें भी यथा संभव दिनांक 08.07.2024 से आयोजित की जाय'' पढ़ा जाय।

विषय क्र. 02 **विद्यापरिषद की स्थायी समिति की 182वीं बैठक दिनांक 28.06.2024 के पालन प्रतिवेदन का अवलोकन करना।**

निर्णय :– विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने स्थायी समिति की 182वीं बैठक दिनांक 28.06.2024 के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण की एवं कृत कार्यवाही की पुष्टि की।

विषय क्रमांक–9 में लिये गये निर्णय की अंतिम पंक्तियों को ''सेमेस्टर की एटीकेटी की परीक्षायें भी यथा संभव दिनांक 08.07.2024 से आयोजित की जाय'' पढ़ा जाय।

विषय क्र. 03. **गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर और International Association of Advanced Materials (IAAM), Sweden के बीच समझौता ज्ञापन पर विचार।**

निर्णय :– विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर और International Association of Advanced Materials (IAAM), Sweden के बीच समझौता ज्ञापन प्रारूप का अनुमोदन किया जाय एवं समझौता किये जाने संबंधी आवश्यक कार्यवाही सम्पन्न की जाय।

विषय क्र. 04. **गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर और INTI International University, Malaysia के बीच समझौता ज्ञापन पर विचार।**

निर्णय :– विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर और INTI International University, Malaysia के बीच समझौता ज्ञापन प्रारूप का अनुमोदन किया जाय एवं समझौता किये जाने संबंधी आवश्यक कार्यवाही सम्पन्न की जाय।

विषय क्र. 05. **गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर और Multimedia University, Malaysia के बीच समझौता ज्ञापन पर विचार।**

निर्णय :– विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर और Multimedia University, Malaysia के बीच समझौता ज्ञापन प्रारूप का अनुमोदन किया जाय एवं समझौता किये ज़ाने संबंधी आवश्यक कार्यवाही सम्पन्न की जाय।

विषय क्र. 06. **गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर और Jai Prakash University, Chhapra (Bihar) के बीच समझौता ज्ञापन पर विचार।**

निर्णय :– विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर और Jai Prakash University, Chhapra (Bihar) के बीच समझौता किये जाने संबंधी कृत कार्यवाही की पुष्टि की जाय।

विषय क्र. 07. **गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर और INFLIBNET Centre के बीच समझौता ज्ञापन पर विचार।**

निर्णय :– विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर और INFLIBNET Centre के बीच समझौता ज्ञापन प्रारूप का अनुमोदन किया जाय एवं समझौता किये जाने संबंधी आवश्यक कार्यवाही सम्पन्न की जाय।

Ranadive
15-07-2024

विषय क्र. 08. **गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर और Union Bank of India, Bilaspur के बीच समझौता ज्ञापन पर विचार।**

निर्णय :— विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर और Union Bank of India, Bilaspur के बीच समझौता ज्ञापन प्रारूप का अनुमोदन किया जाय एवं समझौता किये जाने संबंधी आवश्यक कार्यवाही सम्पन्न की जाय।

विषय क्र. 09. **विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में अध्ययनरत् छात्र–छात्राओं के बीमा कराये जाने के प्रकरण एवं ई.ओ.आई के मसौदे पर विचार संबंधी।**

निर्णय :— विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में अध्ययनरत् छात्र–छात्राओं के बीमा कराये जाने संबंधी प्रस्ताव एवं ई.ओ.आई के मसौदे का अनुमोदन किया जाय एवं ई.ओ.आई. जारी किये जाने आवश्यक कार्यवाही सम्पन्न की जाय।

विषय क्र. 10. **सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में नए बी.टेक और एम.टेक कार्यक्रम/पाठ्यक्रम शुरू करने के प्रस्ताव पर विचार।**

निर्णय :— विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि प्रस्तुत प्रस्तावानुसार पाठ्यक्रम स्व–वित्तीय योजना के अंतर्गत शैक्षणिक सत्र 2024–25 के सम सेमेस्टर (जनवरी) से प्रारम्भ किये जाने संबंधी आवश्यक कार्यवाही सम्पन्न की जाय।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष आवश्यक शुल्क संरचना का प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण

अ.अ.वि.क्र .01 विद्यापरिषद की स्थायी समिति के समक्ष विश्वविद्यालय के बालिका छात्रावास हेतु मैट्रन के पदों पर नियुक्ति की अर्हता के पुनर्विचार हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत विषय पर चर्चाउपरान्त यह निर्णय लिया गया कि मैट्रन पद की न्यूनतम अर्हता में आयु सीमा को बढ़ाकर 45 वर्ष किया जाय।

अ.अ.वि.क्र. 02 विद्यापरिषद की स्थायी समिति के समक्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त पत्र क्रमांक 67–3/2021(CU)VOL-I दिनांक 13 जून, 2024 जिसमें जी.एफ.आर. 2017 के नियम 133, 154, 155 में संशोधन किये जाने की सूचना अंकित है प्रस्तुत की गई। स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त पत्र के अनुक्रम में जी.एफ.आर. 2017 के आंशिक संशोधनों को अंगीकृत करते हुए विश्वविद्यालय में लागू किया जाय।

अ.अ.वि.क्र. 03 विद्यापरिषद की स्थायी समिति के समक्ष स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रमों में सी.यू.ई.टी.पी.जी. के माध्यम से हो रहे प्रवेश प्रक्रिया पर चर्चा की गई तथा यह निर्णय लिया गया कि प्रवेश प्रक्रिया के सभी बिन्दुओं पर आवश्यक चर्चा हेतु अधिष्ठाताओं की बैठक आहूत की जाय एवं अधिष्ठातागणों के द्वारा यथोचित निर्णय लिये जाय।

माननीय अध्यक्ष महोदय एवं उपस्थित सदस्यों के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक संपन्न हुई।

A Ranadive
15-07-2024

कुलसचिव (कार्यवाहक)/सचिव **कुलपति/अध्यक्ष**